(2)

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-15/7/2000-का-4-2006
लखनऊ:: दिनांक:: 16 जनवरी, 2006

कार्यालय-ज्ञाप

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश में विभागीय अधिकारियों की प्रोन्नति को प्रशस्त करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-15/12/98-का-4-2005, दिनांक 19 जुलाई, 2005 द्वारा संयुक्त सचिव (विभागीय) के 01 अस्थायी पद का सृजन किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अनुभाग अधिकारी, अनु सचिव और उप सचिव (विभागीय) सेवा नियमावली, 2000 में प्रश्नगत पद का समावेश न होने के कारण उक्त पद पर पदोन्नति किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है । अतः लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में सृजित संयुक्त सचिव (विभागीय) के उक्त पद पर भर्ती हेतु राज्यपाल महोदय निम्न प्रक्रिया निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियुक्ति प्राधिकारी	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ।
भर्ती का स्रोत	(2) संयुक्त सचिव (विभागीय) के पद पर भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त विभागीय उप सचिवों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो (02) वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा की जायेगी।
संयुक्त सचिव (विभागीय) के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	(3)(एक) संयुक्त सचिव (विभागीय) के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती श्रेष्ठता के आधार पर, निम्नवत् गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी:-
	(क) नियुक्ति प्राधिकारी — अध्यक्ष
	(ख) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट लोक सेवा आयोग का एक सदस्य — सदस्य
	(ग) सचिव, लोक सेवा आयोग — सदस्य
	टिप्पणी:- चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन

समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम,1994 की धारा-7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची/सूचियां समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेंगे और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जांय, चयन समिति के समक्ष रखेंगे।

(तीन) चयन समिति उप-प्रस्तर(दो) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(चार) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

नियुक्ति

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे प्रस्तर(3) के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेंगे।

परिवीक्षा

(5)(एक) पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकते हैं, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाय:

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि छः (06) मास से अधिक और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(तीन) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति

प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(चार) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप-प्रस्तर(तीन) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(पांच) नियुक्ति प्राधिकारी, संयुक्त सचिव (विभागीय) के पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की सहमति दे सकता है।

स्थायीकरण

(6)(एक) उप प्रस्तर(दो) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि;

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय, और

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(दो) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबंधों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां उस नियमावली के नियम-5 के उप-नियम(3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

(7) पद पर मौलिकरूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

वेतनमान

(8)(एक) पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(दो) इस आदेश के जारी होने के दिनांक को संयुक्त सचिव (विभागीय) के पद का वेतनमान रूपये-14,300-400-18,300 है।

आरक्षण

(9) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के

अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय-समय पर भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(दीपक त्रिवेदी)
सचिव।

संख्या-15/7/2000(1)का-4-2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4. कार्मिक अनुभाग-1
5. कार्मिक नियमावली कोष्ठक।

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव।